टी0ए0 मिस केस सं0 169/2017-18

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
14/10/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री घनश्याम बारी, पिता–स्व० कैरा बारी,** ग्राम–**कुईदबुसु,** थाना–**मुफ्फसिल,** जिला–पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने मौजा– **कुईदबुसु,** थाना नं०–**575,** खाता नं०–50, प्लॉट नं०– 51, कुल **रकवा– 0.10 एकड़** भूमि क्रेता नेहरू देवगम, **पिता– वंशीधर देवगम,** ग्राम– **पम्पाडा.,** थाना–**मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने हेतु अनुमति की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से आम सूचना निर्गत किया गया। इश्तेहार अप्राप्त है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी सदर चाईबासा के पत्रांक 1023 दिनांक 13.10.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा जॉच के समय मांगी गई वांक्षित कागजात उपलब्ध नहीं करायी गई जिसके कारण जॉच किया जाना संभव नहीं हो सका। उन्होंने आवेदन को अस्वीकृत करने हेतू अनुशंसा किया है। अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित [signature] 14/10 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। [signature] 14/10/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner